न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 73/2023 बउनवानी देवी लाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा, तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/157

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 03.10.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. आवेदक की पत्नि बादाम देवी ग्राम गिरधरपुरा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा स0मा0 द्वारा नाहरी कला के ख0न0 68 रकबा 1.0200 ख0न0 582/69 रकबा 0.2300 है0 का सीमाज्ञान कराने हेतु ऑन लाईन आवेदन 989691467455 किया गया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/23/1032 दिनांक 06.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.2023 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 1031 दिनांक 6.12.2023 के साथ संलग्न कर अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.2023 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner